

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27551 वर्ष 2026**

मुजाहिद उर्फ मुज्जी

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : गरुण पल सिंह

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गरुण पाल सिंह और राज्य के विद्वान एजीए श्री इमरान खान की बात सुनी।
- यह जमानत याचिका केस क्राइम नंबर 316/2025, धारा 103(1), 351(3) बीएनएस, पुलिस स्टेशन शेरगढ़, जिला मथुरा में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- हालांकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आरोप के अनुसार, आवेदक ने सह-आरोपी रिजवान के साथ मिलकर अन्य दो आरोपियों के उकसावे पर मृतक की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या की, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
- उन्होंने आगे कहा कि मामले का मुखबिर चश्मदीद गवाह नहीं था और जांच के दौरान अंसार और राहुल नाम के दो चश्मदीद गवाह सामने आए। उन्होंने हालांकि जांच के दौरान दर्ज किए गए अपने बयानों में एफआईआर के विवरण को दोहराया, लेकिन मुकदमे के दौरान उन्हें मुकर गए गवाह घोषित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।
- उन्होंने आगे कहा कि उपर्युक्त दो गवाहों के अलावा कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी बयान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि कथित प्रत्यक्षदर्शियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, इसलिए इस मामले में आवेदक को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है।
- उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 22.10.2025 से जेल में है।
- इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदक ने सह-आरोपी रिजवान के साथ मिलकर मृतक को कुल्हाड़ी से घायल कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इससे पता चलता है कि मामले का मुखबिर प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।

10. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना को अंसार और राहुल नामक दो चश्मदीदों ने देखा था और हालांकि जांच के दौरान उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था, लेकिन मुकदमे के दौरान उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें विरोधी घोषित कर दिया गया है।

11. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों कथित चश्मदीदों को विरोधी घोषित कर दिया गया है, यह न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में योग्यता पाता है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनके बयान दर्ज होने के बाद, इस मामले में आवेदक को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है।

12. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 22.10.2025 से जेल में है।

13. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक- **मुजाहिद उर्फ मुज्जी** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7 अगस्त, 2026

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Judgment. Not for Legal Use.